बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/PMC/विविध/141/2022–पार्ट–II 248 पटना, दिनांक : 30/03/26

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन
मुख्य अभियंता
योजना एवं मोनिटरिंग
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
जल संसाधन विभाग, पटना।

विषय :– जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राप्त/ निष्कासित खनिजों का उपयोग नियमानुसार करने के संबंध में।

प्रसंग :– खान एवं भूतत्व विभाग, पटना का सं0सं0–प्रा0–2/एम0एम0(बा0)–56/24/914/एम0 पटना, दिनांक–03.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियम–29 (छ), 37(1) एवं 37 (2) में नदी एवं नहरों से निक्षेपित गाद के निकासी तथा विकास परियोजनाओं एवं नहर तथा जल निकासी प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के उपयोग के संबंध में प्रावधान है (छायाप्रति संलग्न)।

साथ ही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी जोन द्वारा O.A. No.-75/2020 (SZ) में दिनांक–19.04.2022 को पारित आदेश में नहर, नदी तथा जल निकासी प्रणाली के Desilting, Dredging आदि कार्यों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Guideline, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guideline for sand Mining, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राप्त/ निष्कासित खनिजों का उपयोग नियमानुसार खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार का पत्रांक–914 दिनांक–03.02.2026 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन

30/3/26

(ब्रजेश मोहन)
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग।

Desktop/draft_Letter_Cricular 2_226

ज्ञापांकः–1/PMC/विविध/141/2022–पार्ट–II 248 पटना, दिनांक : 30/03/22

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता आई0टी0, सूचना एवं प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मोहन)
मुख्य अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग।

Desktop/draft_Letter_Cricular 2_227

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0– प्र0–2/एम0एम0(बा0)–56/24 914 /एम0, पटना, दिनांक– 03/02/26

प्रेषक,

दिवेश सेहरा, भा0प्र0से0,
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राप्त/निष्कासित खनिजों का उपयोग नियमानुसार करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के नियम–29(छ), 37(1) एवं 37(2) में नदी एवं नहरों से निक्षेपित गाद के निकासी तथा विकास परियोजनाओं एवं नहर तथा जल निकासी प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के उपयोग के संबंध में प्रावधान निम्नवत है :–

29 (छ)– "गाद का निष्कासन जल संसाधन विभाग के लिखित प्रतिवेदन/अनुशंसा पर नदी/नहर मार्ग के प्रवाह को सतत रखने के उद्देश्य से नदी/नहरों में निक्षेपित गाद को समाहर्ता द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से निर्धारित अवधि के लिए संवेदक का चयन कर निष्पादन कराया जाएगा। संवेदक/उच्चतम डाकवक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकार से सभी आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर गाद का निष्पादन नियमावली के विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कार्य क्षेत्र वन भूमि वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र (PA)/ पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ESZ) में होने पर यथास्थिति वन स्वीकृति, वन्यप्राणी स्वीकृति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।"

37 (1)– भवन/संरचना/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्राप्त खनिज के लिए खनिज निपटान परमिट दिया जाना– *इस नियमावली किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, जहाँ कोई खनिज किसी भवन निर्माण अथवा विकास योजना की प्रक्रिया में प्राप्त हो और उस परियाजेनाओं की प्रक्रिया में निकाला गया हो तो समाहर्त्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर, वैसी किसी विनिर्दिष्ट भूमि से, जहाँ पहले खनन के लिए किसी व्यक्ति को पहले लीज बंदोबस्त न की गई हो, ऐसे किसी लघु खनिज को हटाने एवं उसका उपयोग करने के लिए परमिट दे सकेगा। उक्त अनुमति विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनाधिक तीन माह के लिए अग्रिम सरकार के लिए स्वामित्व तथा अन्य प्रकार के भुगतान पर दी जा सकेगी।*

37 (2)– सिंचाई विभाग द्वारा नहर तथा जल निकास प्रणाली के संधारण की प्रक्रिया में निष्कासित खनिजों के लिए खनिज निपटाव परमिट दिया जाना– *इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहाँ किसी नहर या जल निकासी प्रणाली अथवा जल निकास की सफाई, संधारण और रख–रखाव की प्रक्रिया में किसी गाद या बालू या साधारण मिट्टी या किसी अन्य खनिज को निकाला जाता है वहाँ समाहर्त्ता, संबंधित खनन अधिकारी के प्रतिवेदन पर वैसे किसी लघु खनिज को हटाने और उपयोग करने का परमिट दे सकेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता उक्त खनिज के निपटाव के लिए परमिट निर्गत करने*

P.T.O

हेतु खनन अधिकारी के समक्ष एक आवेदन देगा। उक्त अनुमति सरकार को लागू स्वामित्व तथा अन्य प्रकार के अग्रिम भुगतान पर विनिर्दिष्ट मात्रा तथा अनधिक तीन माह के लिए दी जा सकेगी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी जोन द्वारा O.A. No.- 75/2020 (SZ) में दिनांक– 19.04.2022 को पारित आदेश में नहर, नदी तथा जल निकासी प्रणाली के Desilting, Dredging आदि कार्यों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Guideline, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guideline for Sand Mining, 2020 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में प्राप्त/निष्कासित खनिजों का उपयोग नियमानुसार उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करने हेतु सभी संबंधित को निदेशित करने की कृपा की जाय।

2. प्रस्ताव पर उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सचिव